डीजी-परिपत्र संख्या 20 /2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जून 04, 2020

विषयः- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर अपराधिक तत्वों द्वारा किये जाने वाले हमलों की रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अभी हाल ही में कतिपय जनपदों में पुलिस कर्मियों पर अपराधिक तत्वों एवं आम जनता द्वारा हमलों की घटनायें घटित हुई हैं। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। चिन्ता का विषय है कि घटनायें लगातार हो रही हैं। इससे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है क्योंकि पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य करता है।

घटित घटनाओं के प्रकरणों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि इसके प्रायः निम्न कारण रहे हैं-

- पुलिस कर्मियों के द्वारा ऐसा कोई कृत्य जो असंवैधानिक, गैरकानूनी, उत्पीड़नात्मक होने के कारण जनता क्रोधित होकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए विवश हो जाती है।
- पुलिस कर्मियों के द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने के दौरान अपराधिक तत्वों द्वारा अपने बचाव स्वरूप पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाता है। इस प्रकार की घटनायें प्रायः गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को छुड़ाने के दौरान अराजकतत्वों द्वारा भीड़ में सम्मिलित होकर पथराव, तोड़फोड़ व आगजनी आदि किये जाने तथा विचाराधीन बन्दियों को पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा से छुड़ाने जैसी घटनाओं में परिलक्षित होती है।
- हत्या, अपहरण, बलात्कार एवं सड़क दुर्घटना आदि के मामलों में सामयिक, निष्पक्ष एवं त्वरित कार्यवाही पुलिस द्वारा न किये जाने के कारण।
- गुण्डा, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सामयिक कड़ी एवं सख्त कार्यवाही न करने के कारण एवं उनके मनोबल बढे होने के कारण।
- थानों पर स्थानीय समस्याओं/मुद्दों जिनका अपराध एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के विषय में पूर्व जानकारी/सूचना/अभिसूचना का संकलन न होना।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से उचित समन्वय न होने के कारण।

आप सहमत होगें कि इस प्रकार की घटनाओं से न केवल पुलिस कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वरन उनकी जनमानस के मध्य छवि भी धूमिल होती है। इन घटनाओं में प्रायः पुलिस कर्मी घायल होते हैं एवं सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को भी क्षति पहुँचती है। सामान्यतः इस प्रकार की घटनाओं पर अपने अधीनस्थों पर निकट पर्यवेक्षण से ही अंकुश लगेगा। पुलिस कर्मी ऐसा कार्य कदापि न करें जिससें जनाक्रोश भड़के यदि किन्ही परिस्थितिवश इस प्रकार की घटना घटित होती हैं, तो विवेकानुसार इसकी रोकथाम हेतु थाने पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा तत्परता एवं सूझबूझ के साथ स्थिति को नियन्त्रित करने का प्रयास किया जाये, ताकि पुलिस

कर्मियों को किसी प्रकार से कोई हानि न हो एवं राजकीय तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति भी न हो।

इस प्रकार की घटनाओं पर तत्परता से अंकुश लगाये जाने की दिशा में अन्य प्रयासों के अलावा निम्न निर्दिष्ट बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगाः-

- पुलिस पर हमलों के शेष वांछित अभियुक्तों की तत्परता से गिरफ्तारी करायी जाये तथा लम्बित विवेचनाओं का गुणदोष के आधार पर पुष्टिपरक साक्ष्यों का संकलन करते हुए समयबद्ध निस्तारण कराया जाये।
- जिन स्थानों पर पूर्व में पुलिस बल पर हमले की घटना हुई है वहां पर्याप्त पुलिस बल के साथ जायें।
- थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि जब उनके अधीनस्थ कर्मचारी किसी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए थाने से प्रस्थान करते हैं अथवा किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की दबिश देते हैं, तब वह अपने साथ प्रदत्त दंगा रोधी उपकरणों से सुसज्जित होकर प्रस्थान करेंगें।
- यदि किसी अवसर पर यह पाया जायेगा कि दंगा रोधी उपकरणों का उपयोग न करने के कारण कोई कर्मचारी घायल होता है तो सम्बन्धित थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
- जनपद की अभिसूचना इकाई को क्रियाशील कर आसूचनाओं का समय से संकलन कराकर दृढ़तापूर्वक यथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करायी जाये।
- पुलिस कर्मियों को सर्तकता बनाये रखने, निष्पक्ष ढंग से विधि सम्मत कार्य करने एवं उत्तम आचरण बनाये रखने की कड़ी हिदायतें दी जाये।
- यदि किसी पुलिस कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो जो असंवैधानिक, अनैतिक अथवा गैरकानूनी है तो वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व होगा कि ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित करते हुए विधिक कार्यवाही करायी जाये ताकि इससे उत्पन्न होने वाले जनाक्रोश को नियन्त्रित किया जा सके।
- वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व होगा कि ऐसी घटनाओं के घटित होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करायी जाये। घायल पुलिस कर्मियों का समुचित उपचार कराया जाये।
- भारत सरकार के द्वारा THE EPIDEMIC DISEASES ACT 1897 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। संशोधन द्वारा **Act Of Violence** के साथ-साथ **Healthcare Service Personnel** को भी परिभाषित किया गया है। मूल अधिनियम में धारा 3(2) व 3(3) जोड़ी गयी है, जिसके द्वारा क्रमश 05 वर्ष तक का कारावास एवं 2 लाख रू0 तक जुर्माने की सजा तथा 07 वर्ष तक का कारावास एवं 5 लाख रू0 तक जुर्माने की सजा का प्राविधान किया गया है। धारा 3(2) व 3(3) के अपराधों को संज्ञेय तथा अजमानतीय बनाते हुये उनके विवेचना एवं विचारण के लिए क्रमश 01 माह तथा 01 वर्ष का समय सीमा तय की गयी है। तदनुसार कार्यवाही करायें।
- विवेचनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवणात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा विवेचना में पुलिस कर्मियों द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती जा रही हो तो ऐसे पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

- ऐसे अपराधों में संलिप्तता के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाये एवं आवश्यकतानुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम 1970, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 अथवा उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही करायी जाये।

मै चाहूँगा कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में इन दिशा-निर्देशों से भलीभाति अवगत करा दें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन यदि थाना स्तर तक गम्भीरतापूर्वक किया जायेगा तो इस प्रकार की घटनाओं पर तत्परता से अंकुश लग सकेगा।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी) 31/6/20.

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।